न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 31/2024 दायर दिनांक– 22.07.2024

GCMS CASE NO-2024/32

1. मु.कमो पत्नी माधू खॉ जाति मुसलमान साकिन सरदारगढ तहसील सूरतगढ हाल वार्ड न0 12 रायसिंहनगर ––अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए पैरोकार राज
2. जाकर हुसैन पुत्र नवले खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ––रेस्पोडेंटगण

उपस्थितः–

1. श्री अशोक छाबडा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवीर बराड, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 14.09.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि माधू खॉ पुत्र बहादर खॉ के नाम वाके चक 239.500 आरडी का प.न. 119/341 का कि.न. 1 ता 15 में 3.795 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। माधू खॉ की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामांतरकरण दर्ज कराने हेतु प्रा.पत्र तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष दिनांक 22.04.2024 को पेश किया गया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की जाकर तमाम तथ्यों की जांच की जाकर विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किया गया। तहसीलदार सरूतगढ द्वारा माइंड एप्लाई करते हुए तमाम दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात ही इंतकाल तस्दीक किया है। दिनांक 24.05.2024 को जाकर हुसैन पुत्र नवले खॉ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना पूर्व सूचना किये व बिना पूर्व नोटिस जारी किए बिना सुने इंतकाल एकतरफा तौर पर पीठ पीछे पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 30.05.2024 को पूर्व में दर्ज इंतकाल को निरस्त कर दिया गया उक्त आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाये खारिज कर दिया गया, तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के निर्णय करने से पूर्व कतई माईंड एप्लाई नहीं किया आदेश दिनांक 30.05.2024 निरस्ती योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.05.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें माधू खॉ के नाम की भूमि की वसीयत अनुसार इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की गई पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मे खुलासा किया कि दिनांक 9.5.2024 को इंतकाल विरासतन दर्ज कर दिया गया है अब भूमि मु.कमो पत्नी माधू खॉ के नाम दर्ज है। रिपोर्ट का खुलासा होने के उपरांत भी बिना नोटिस दिये पीठ पीछे उक्त इंतकाल निरस्त कर दिया गया जो कि कानूनन भूल की है उक्त आदेश त्रृटिपूर्ण है इंतकाल निरस्त करने से पूर्व प्रस्तुत वसीयत की जांच की जानी चाहिये थी जिसे तहसीलदार महोदय द्वारा अक्षरक्षः स्वीकार कर लिया गया उक्त वसीयतनामा फर्जी कूट रचित दस्तावेज है प्रोपर स्टाम्प डयूटी पर नही है वा ना ही रजिस्टर्ड दस्तावेज है, एक फर्जी कूट रचित दस्तावेज को आधार बनाया जाना पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.05.2024 निरस्त फरमाया जावे व अपीलांट के पक्ष में दर्ज विरासतन इंतकाल संख्या 280 दिनांक 9.05.2024 को यथावत रखने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक छाबड़ा हाजिर आये एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवीर बराड़ उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट माधू खॉ पुत्र बहादर खॉ के नाम वाके चक 239.500 आरडी का प.न. 119/341 का कि.न. 1 ता 15 में 3.795 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। माधू खॉ की मृत्यु के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:16:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

बाद उक्त भूमि का नामांतरकरण दर्ज कराने हेतु प्रा.पत्र तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष दिनांक 22.04.2024 को पेश किया गया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की जाकर तमाम तथ्यों की जांच की जाकर विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किया गया। तहसीलदार सरूतगढ द्वारा माइंड एप्लाई करते हुए तमाम दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात ही इंतकाल तस्दीक किया है। दिनांक 24.05.2024 को जाकर हुसैन पुत्र नवले खॉ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विना पूर्व सूचना किये व बिना पूर्व नोटिस जारी किए बिना सुने इंतकाल एकतरफा तौर पर पीठ पीछे पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 30.05.2024 को पूर्व में दर्ज इंतकाल को निरस्त कर दिया गया उक्त आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाये खारिज कर दिया गया, तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के निर्णय करने से पूर्व कतई माईंड एप्लाई नहीं किया आदेश दिनांक 30.05.2024 निरस्ती योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.05.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें माधू खॉ के नाम की भूमि की वसीयत अनुसार इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की गई पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मे खुलासा किया कि दिनांक 9.5.2024 को इंतकाल विरासतन दर्ज कर दिया गया है अब भूमि मु. कमो पत्नी माधू खॉ के नाम दर्ज है। रिपोर्ट का खुलासा होने के उपरांत भी बिना नोटिस दिये पीठ पीछे उक्त इंतकाल निरस्त कर दिया गया जो कि कानूनन भूल की है उक्त आदेश त्रृटिपूर्ण है इंतकाल निरस्त करने से पूर्व प्रस्तुत वसीयत की जांच की जानी चाहिये थी जिसे तहसीलदार महोदय द्वारा अक्षरक्षः स्वीकार कर लिया गया उक्त वसीयतनामा फर्जी कूट रचित दस्तावेज है प्रोपर स्टाम्प डयूटी पर नही है वा ना ही रजिस्टर्ड दस्तावेज है, एक फर्जी कूट रचित।दस्तावेज को आधार बनाया जाना पूर्णतया विधि विरूद्ध है। उक्त फर्जी दस्तावेज के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256 दिनांक 19.7.2024 से पुलिस थाना रायसिंहनगर जिला अनूपगढ में दर्ज करवाई हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.05.2024 निरस्त फरमाया जावे व अपीलांट के पक्ष में दर्ज विरासतन इंतकाल संख्या 280 दिनांक 9.05.2024 को यथावत रखने के आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि इंतकाल स्वीकृत करने से पहले वसीयत का इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2024 को प्रस्तुत किया गया था लेकिन भूलवंश वसीयत का इंतकाल दर्ज होने से रह गया। दिनांक 24.05.2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर विरासत इंतकाल को निरस्त कर वसीयत अनुसार इंतकाल दुरूस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 30.05.2024 को पुर्नवलोकन कर नामांतरकरण संख्या 280 दिनांक 09.05.2024 को खारिज कर दिया गया जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) सूरतगढ़ द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 802 दिनांक 30.05.2024 निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:16:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner